



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-2945/DL/36/2024-ESDW

दिनांक: 06.09.2024

श्री लक्षय सिंघल,
उपायुक्त, दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली,
डीसी कार्यालय दक्षिण पश्चिम पुरानी टर्मिनल,
कर बिल्डिंग कापसहेड़ा,
दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली 110037
ई-मेल: dcsw@nic.in
फोन नं. 011-25069484

विषय: उपायुक्त कार्यालय, जिला-दक्षिण पश्चिम, दिल्ली को जाति प्रमाण पत्र में सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में श्री सुमित कुमार पुत्र श्री विश्वनाथ प्रसाद, एस-28, शर्मा कॉलोनी, बुद्ध विहार, फेस-2, दिल्ली-110086 से दिनांक 30.05.2024 का अभ्यावेदन।


संदर्भ: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 26.06.2024.

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। डॉ. आशा लकड़ा, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक 12.09.2024 को अपराह्न 03:00 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीय सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।


(सूरत सिंह)
निदेशक

ई-मेल: researchofficer-esdw@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. माननीया सदस्य महोदया (अ.ल.) के निजी सचिव।
2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-2945/DL/36/2024-ESDW

दिनांक: 06.09.2024

डॉ. मनप्रीत भल्ला,
निदेशक,
राष्ट्रीय टीबी एवं श्वसन रोग संस्थान, नई दिल्ली,
श्री अरबिंदो मार्ग, कुतुब मीनार के पास,
नई दिल्ली-110030,
ई-मेल: ajay.kumar.sa@nitrd.nic.in

विषय: उपायुक्त कार्यालय, जिला-दक्षिण पश्चिम, दिल्ली को जाति प्रमाण पत्र में सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में श्री सुमित कुमार पुत्र श्री विश्वनाथ प्रसाद, एस-28, शर्मा कॉलोनी, बुद्ध विहार, फेस-2, दिल्ली-110086 से दिनांक 30.05.2024 का अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 26.06.2024.

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। डॉ. आशा लकड़ा, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक 12.09.2024 को अप्राह्न 03:00 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीय सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

सूरत सिंह

(सूरत सिंह)
निदेशक

ई-मेल: researchofficer-esdw@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

- माननीया सदस्य महोदया (अ.ल.) के निजी सचिव।
- एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-2945/DL/36/2024-ESDW

दिनांक: 06.09.2024


श्री सुमित कुमार,
पुत्र श्री विश्वनाथ प्रसाद,
एस-28, शर्मा कॉलोनी,
बुद्ध विहार, फेस-2,
दिल्ली-110086
फोन नं. 7531810136

विषय: उपायुक्त कार्यालय, जिला-दक्षिण पश्चिम, दिल्ली को जाति प्रमाण पत्र में सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में श्री सुमित कुमार पुत्र श्री विश्वनाथ प्रसाद, एस-28, शर्मा कॉलोनी, बुद्ध विहार, फेस-2, दिल्ली-110086 से दिनांक 30.05.2024 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग की माननीया सदस्य (डॉ. आशा लकड़ा) ने आपके मामले में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ दिनांक 12.09.2024 को अपराह्न 03:00 बजे आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में बैठक तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से सूचित कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।


(सूरत सिंह)
निदेशक

ई-मेल: researchofficer-esdw@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

- माननीया सदस्य महोदया (अ.ल.) के निजी सचिव।
- एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।